

सूखा राहत पर विजयेंद्र का सरकार पर हमला , विराट कोहली ने रचा इतिहास, 15 हजार बोले किसानों को पर्याप्त सहायता दे कांग्रेस वनडे रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। कर्नाटक में सूखे की स्थिति और किसानों के लिए घोषित राहत को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित किसानों के लिए घोषित 2,500 की इनपुट सब्सिडी को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। राज्य सरकार ने 25 सितंबर को विधानसभा में सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल 2,500 की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की थी। पहले चरण में करीब 1,250 करोड़ खर्च होने और लगभग 45–50 लाख किसानों को लाभ मिलने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई थी। यह सहायता केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत सहायता की प्रतीक्षा के बीच घोषित की गई है। विजयेंद्र ने 50 हजार प्रति हेक्टेयर सहायता की मांग दोहराई। बेंगलुरु स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में विजयेंद्र ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने

मैसूर रोड होस गुड्डाहल्ली में गणेश उत्सव का आयोजन, विशेष अतिथि महेंद्र मुणोत सम्मानित

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। मैसूर रोड स्थित होस गुड्डाहल्ली क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों की ओर से गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों और आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने भाग लेकर भगवान गणेश की पूजा–अर्चना की तथा उत्सव की परंपराओं के अनुरूप धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता की।



कार्यक्रम में विशेष अतिथि महेंद्र मुणोत का आयोजकों की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने उन्हें सम्मानित करते हुए गणेश उत्सव के आयोजन में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने उत्साह से लिया हिस्सा गणेश उत्सव के दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन स्थानीय लोगों को एक साथ जोड़ने के साथ आपसी सौहार्द और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान गणेश भगवान की आराधना और धार्मिक गतिविधियों के साथ उपस्थित लोगों ने उत्सव की खुशियां साझा कीं। आयोजकों एवं नागरिकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समाचार प्रेषक उपेन्द्र कुमार, बेंगलुरु

बनशंकरी मंदिर के सामने सरकारी जमीन से कब्जा हटाया,

निगम मुख्यालय के लिए होगी जमीन का उपयोग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। बनशंकरी मंदिर के सामने सरकारी गांव स्थित सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाकर उसे बेंगलुरु साउथ



म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त के.एन. रमेश के अनुसार, सर्वे नंबर 73 में स्थित करीब 3 एकड़ 13 गुंटे जमीन को निगम मुख्यालय के निर्माण के लिए सुरक्षित किया गया है। निगम के अनुसार, उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कार्रवाई के संबंध में एक स्थान

पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों द्वारा किसानों को दी गई राहत का हवाला देते हुए प्रति हेक्टेयर 50 हजार मुआवजे की मांग दोहराई। उन्होंने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी



सवाल उठाते हुए श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। विजयेंद्र का आरोप है कि सरकार की गारंटी योजनाओं और अन्य व्यय के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है। ये दावे भाजपा की राजनीतिक आलोचना का हिस्सा हैं और सरकार की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र आकलन अलग विषय है। करदाताओं के धन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल विजयेंद्र ने गारंटी योजनाओं से जुड़ी समितियों और उनके प्रशासनिक खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप

लगाया कि जनता के कर से प्राप्त धन का उपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिव्यांगों, बुजुर्गों और

गरीबों से जुड़ी योजनाओं में कथित वित्तीय कमी का मुद्दा भी उठाया और सरकार से खर्च तथा प्राथमिकताओं पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। चुनावी तैयारियों के बीच राजनीतिक अभियान विजयेंद्र ने भाजपा के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में सेवा–संकल्प से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला एवं तालुक पंचायत चुनावों की तैयारियों

को ध्यान में रखते हुए भाजपा की ओर से बृथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए अगले कुछ महीनों में राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा। राहुल गांधी और चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी विजयेंद्र ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के संदर्भ में भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। उनके ये बयान राजनीतिक आरोप और भाजपा का दृष्टिकोण हैं। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों और आरोपों को अलग–अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए। शिकारिपुरा से कांग्रेस की पदयात्रा पर विजयेंद्र की प्रतिक्रिया कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद द्वारा शिकारिपुरा से 'भारत जोड़े–2' पदयात्रा शुरू करने की घोषणा पर विजयेंद्र ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस 30 सितंबर से 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने वाले 84 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली पदयात्रा शुरू करने जा रही है।

पूजा बाहरी क्रियाकांड नहीं, आत्मशुद्धि का विज्ञान है:वीरसागर जी महाराज

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। जैन धर्म में पूजा केवल बाहरी विधि–विधान पूरा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के अंतरंग को निर्मल करने और उसके वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने का माध्यम है। निर्यापक श्रमण श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने ‘पूजा के विज्ञान को जाने’ विषय पर प्रवचन करते हुए कहा कि पूजा का वास्तविक उद्देश्य आत्मा पर अनादिकाल से पड़े कर्मों के आवरण को हटाकर आत्मिक गुणों की ओर बढ़ना है। मुनिश्री ने कहा कि पूजा के दौरान अष्टद्रव्य अर्पित करना, अभिषेक करना अथवा तीर्थंकर प्रतिमा के समक्ष धार्मिक क्रियाएं करना बाहरी पक्ष है। इन क्रियाओं का महत्व तभी है, जब इनके माध्यम से व्यक्ति के अंतरंग परिणामों में विशुद्धि और जीवन–व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आए। ‘पूजा’ का वास्तविक अर्थ अंतरंग का मार्जन वीरसागर जी महाराज ने पूजा के अर्थ को समझाते हुए कहा कि इसका संबंध पवित्रता, निर्मलता और गुणों के स्मरण से है।

उन्होंने बर्तन में जमने वाली चिकनाई का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल बाहर से बर्तन चमकाने से उसकी अंदरूनी गंदगी दूर नहीं होती। इसी



प्रकार मंदिर जाकर पूजा करने के बावजूद यदि मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष की परतें बनी रहें तो पूजा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि पूजा बाहरी स्वरूप को सजाने के बजाय अंतरंग को मंझने और आत्मिक

शुद्धि की दिशा में बढ़ने का अभ्यास है। अष्टद्रव्य और प्रतिमा हैं आत्मशुद्धि के आलंबन मुनिश्री ने कहा कि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल

और अर्घ्य सहित अष्टद्रव्य केवल अर्पण की वस्तुएं नहीं हैं। जैन परंपरा में इनका उपयोग आत्मचिंतन और शुभ–विशुद्ध भावों को जागृत करने के औसंब के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जिनवाणी, मंत्र, गुरु

साधक के चित्त को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मचिंतन की ओर मोड़ने में निमित्त बनते हैं। उन्होंने कहा कि इन माध्यमों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मिक विकास के लिए पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देना है। अनंत चतुष्टय आत्मा की पूर्णता का प्रतीक प्रवचन में तीर्थंकरों के स्वरूप की चर्चा करते हुए वीरसागर जी महाराज ने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य यानी अनंत चतुष्टय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकरों ने अपनी साधना के माध्यम से आत्मा में निहित इन अनंत शक्तियों को पूर्ण रूप से प्रकट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीतराग भगवान किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति, सुख या सिद्धि का अंश प्रदान नहीं करते। पूजा का उद्देश्य भगवान से किसी भीतर आत्मिक गुणों को विकसित करने का पुरुषार्थ करना है। बोरवेल

का उदाहरण देकर समझाया आत्मशुद्धि का सिद्धांत आत्मा में निहित शक्तियों को समझाने के लिए, मुनिश्री ने बोरवेल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जमीन में बोरवेल करने पर पानी बनाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी, कंकड़ और पथरों की परतें हटाकर पहले से मौजूद जल तक पहुंच बनाई जाती है। इसी प्रकार जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य की अनंत क्षमता विद्यमान है। कर्मों के आवरण इन गुणों को ढकते हैं। पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, तप, संयम और आत्मचिंतन का उद्देश्य कोई नई शक्ति पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मा पर पड़े आवरणों को हटाने की दिशा में पुरुषार्थ करना है। बाहरी पूजा के साथ भावों की शुद्धि जरूरी वीरसागर जी महाराज ने कहा कि अनंत भवों से संचित राग–द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी कथायों से मुक्ति के लिए निरंतर साधना और आत्मचिंतन आवश्यक है। केवल धार्मिक क्रियाओं की पुनरावृत्ति से आत्मशुद्धि स्वतः नहीं होती। उन्होंने

श्रद्धालुओं से कहा कि पूजा तभी सार्थक मानी जा सकती है, जब उसके प्रभाव व्यक्ति के विचार, व्यवहार और आंतरिक भावों में दिखाई दे। धार्मिक अनुष्ठान को आत्मनिरीक्षण और परिणामों की विशुद्धि से जोड़ना आवश्यक है। शांतिधारा में आत्मशुद्धि की भावना का आह्वान मुनिश्री ने शांतिधारा और अभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को बाहरी क्रिया के साथ आंतरिक भावों पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शांतिधारा के जल को भीतर के क्रोध और कथायों को शांत करने की भावना से जोड़ा जा सकता है। चंदन अर्पित करते समय शीतलता और समता तथा दीप प्रज्वलित करते समय आत्मज्ञान के प्रकाश की भावना जागृत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूजा की प्रत्येक सामग्री को उसके आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ा जाता है, तब बाहरी अनुष्ठान आत्मचिंतन और अंतरंग साधना का माध्यम बन जाता है। समाचार प्रेषक विपिन कुमार जैन, बेंगलुरु।

जल संसाधन विकास में वैज्ञानिक प्रबंधन और जल संरक्षण पर जोर , मंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026। कर्नाटक में जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, जल संरक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने कर्नाटक इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (KERS), वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (WALMI) और एडवांसड सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट (ACIWRM) की अलग–अलग बैठकों में विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। विश्वेश्वरैया जल निगम के मुख्यालय में हुई बैठकों में राज्य में बढ़ती जल मांग, उपलब्ध जल संसाधनों, कृषि की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन तथा दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। KERS में तकनीकी अध्ययन और जल संरचनाओं की सुरक्षा पर जोर KERS की बैठक में जल संसाधन एवं हाइड्रोलिक अनुसंधान से संबंधित प्रयोगशालाओं की गतिविधियों और विज्ञान जल संरचनाओं से जुड़ी तकनीकी जांच की समीक्षा की गई।

मंत्री ने जलाशयों, बांधों और अन्य जल संसाधन संरचनाओं की सुरक्षा तथा कार्यक्रमता से जुड़े आवश्यक तकनीकी अध्ययन समय पर कराने के निर्देश दिए। जलाशयों और नदियों की गहराई, जल भंडारण क्षमता तथा जलाशयों के तल की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। बैठक में मेकेदातु और बे दत्तो –वरदा परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने तथा आवश्यक तकनीकी अध्ययन को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर भी विचार–विमर्श किया गया। मंत्री ने KERS को राज्य की जल संसाधन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुसंधान, तकनीकी सलाह और वैज्ञानिक जांचकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग मजबूत हो सके। किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर जोर WALMI की बैठक में जल एवं

मृदा संरक्षण, किसानों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। मंत्री ने सिंचाई व्यवस्था के प्रबंधन में किसानों की सीधी भागीदारी बढ़ाने के लिए सहभागी सिंचाई प्रबंधन

(PIM) व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इसके तहत वाटर यूजर एसोसिएशन के गठन, संचालन और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर उपयोग के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों और जल प्रबंधन के व्यावहारिक तरीकों से परिचित कराने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने जल उपयोग

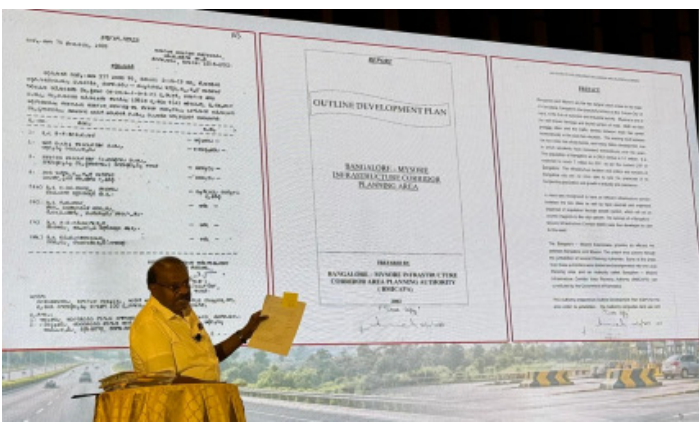
दक्षता बढ़ाने और सिंचाई में पानी की खपत कम करने के लिए प्रशिक्षण एवं जलसंरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने के निर्देश दिए। ACIWRM में एकीकृत जल प्रबंधन पर चर्चा ACIWRM की बैठक में राज्य के जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन, पानी की उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा की गई। मंत्री ने कर्नाटक राज्य जल नीति–2022 के क्रियान्वयन, जल संसाधनों के एकीकृत विकास तथा विभिन्न विभागों के बीच जल उपयोग से संबंधित समन्वय की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल स्रोतों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। विभाग को जल संसाधन परियोजनाओं के डिजाइन, क्रियान्वयन और नीतिगत निर्णयों के लिए आवश्यक के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर उपयोग के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों और जल प्रबंधन के व्यावहारिक तरीकों से परिचित कराने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने जल उपयोग

KERS, WALMI और ACIWRM में बेहतर समन्वय के निर्देश मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने कहा कि KERS,WALMI और ACIWRM के कार्यक्षेत्र अलग–अलग हैं, लेकिन राज्य के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए तीनों संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्हें अनुसंधान, तकनीकी अध्ययन, किसान प्रशिक्षण, जल उपयोग दक्षता, जल संरक्षण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जल की उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी विशेषज्ञता और दीर्घकालिक योजना को आधार बनाकर परियोजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बैठकों में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा KERS,WALMI और ACIWRM के अधिकारी तथा तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। अधिकारियों ने मंत्री को संबंधित संस्थानों की विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की जानकारी दी।

NICE रोड परियोजना के दस्तावेज सामने रख कुमारस्वामी ने उठाए सवाल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026।
केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री
एच.डी. कुमारस्वामी ने मंगलवार
को बेंगलुरु के होटल ताज में
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में NICE
रोड परियोजना और बेंगलुरु-मैसूर
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (BMIC) से
जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने
रखे। उन्होंने परियोजना से संबंधित
विभिन्न पहलुओं, भूमि, टोल संग्रह
और समझौतों को लेकर अपनी ओर
से कई सवाल उठाए। कुमारस्वामी
ने कहा कि NICE परियोजना से
जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड
के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता
से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता
है। इससे पहले भी वे राज्य सरकार
से NICE परियोजना को अपने
अधीन लेने और टोल संग्रह के मुद्दे
पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं।
परियोजना को लेकर फिर तेज हुई
राजनीतिक बहस NICE
परियोजना को लेकर कर्नाटक में
लंबे समय से राजनीतिक और

कानूनी विवाद चलता रहा है। हाल के महीनों में कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद यह मुद्दा फिर परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने और टोल संग्रह रोकने की मांग की थी। भूमि और किसानों के हित का



चर्चा में आया है। न्यायालय के समक्ष भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, परियोजना के क्रियान्वयन और प्रेमईकर्ट एपीमेंट के अनुपालन से जुड़े कई प्रश्न उठे हैं। कुमारास्वामी लगातार यह मांग करते रहे हैं कि परियोजना से जुड़े मामलों की जांच और सरकारी स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगरस्त में भी उन्होंने राज्य सरकार से छुट्ट

परियोजना को अपने नियंत्रण में लेने और टोल संग्रह रोकने की मांग की थी। भूमि और किसानों के हित का

The image shows two pages of a document. The left page is titled "DEVELOPMENT PLAN" and lists various sectors such as AGRICULTURE, MINING, INDUSTRY, etc., under the heading "SECTORAL DEVELOPMENT". The right page is titled "NICE" and contains detailed text about the National Institute of Chemical Engineering. Below the documents, there is a road with yellow and black striped barriers.

से जुड़े विवाद में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का विषय विशेष महत्व रखता है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, कई भूमि मालिकों ने अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से संबंधित मुद्दे अदालत के समक्ष उठाए हैं। दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारस्वामी ने NICE परियोजना से जुड़े दस्तावेजों का सार्वजनिक चर्चा का आधार बनाते हुए सरकार से संबंधित रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने परियोजना के क्रियान्वयन, भूमि के उपयोग और टोल से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां दोहराईं। गौरतलब है कि NICE/BMIC परियोजना वर्ष 1997 में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जुड़ी है। इन एग्रीमेंट में बेंगलुरु और मैसूर के बीच संपर्क बेहतर करने के साथ एक्सप्रेसवे, पेरीफेरल रोड, लिंक रोड और टाउनशिप जैसी विभिन्न स्तरनाओं की परिकल्पना की गई थी। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद बढ़ा दबाव परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण विवादों पर कर्नाटक हाईकोर्ट

की हालिया कार्यवाही ने NICE/BMIC को लेकर सार्वजनिक बहस को और तेज किया है। रिपोर्टों के अनुसार, न्यायालय ने परियोजना के क्रियान्वयन और भूमि से संबंधित कई पहलुओं पर गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। इन टिप्पणियों के आधार पर राजनीतिक दल परियोजना को लेकर अपने-अपने सवाल उठा रहे हैं। हालाँकि, न्यायालय की टिप्पणियों, राजनीतिक आरोपों और दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अंतिम निर्णय तभी माना जा सकता है जब संबंधित सक्षम प्राधिकारी या न्यायिक प्रक्रिया में उनका निर्धारण हो। कुमारस्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद NICE रोड परियोजना से जुड़े दस्तावेज, भूमि, डोल संग्रह और परियोजना के भविष्य को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक चर्चा के और तेज होने के संकेत हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।

सुनिश्चित करने को कहा। बांधों की सुरक्षा और स्थिरता की समीक्षा बैठक का प्रमुख विषय राज्य के विभिन्न बांधों की सुरक्षा, स्थिरता और रखरखाव रहा।



मंत्री ने अधिकारियों से बांधों की सुखासा
सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे
कदमों की जानकारी दी। मानसून से
दौरान जल प्रबंधन तथा बांधों के जलस्तर
से संबंधित सुखासा जांच पर भी चर्चा की
गई। निगरानी एवं मूल्यांकन के दौरान
बांधों में स्थापित विभिन्न उपकरणों की
स्थिति, उनके रखरखाव और सामने
आ रही तकनीकी समस्याओं की भी
समीक्षा की गई। अधिकारियों का
आवश्यक सुधारत्मक कदम समयबद्ध
तरिके से उठाते के निर्देश दिए गए।
आपात स्थिति से निपटने के लिए आपात
कार्ययोजना जरूरी मंत्री ने बांधों से
जुड़ी किसी भी संभावित आपात स्थिति

और उसे प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों में संबंधित विभागों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इसके लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े उपायों, तकनीकी मार्गदर्शन और सुस्था प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। DRIP के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा बैठक में

ड्राइव) के तहत बांधे की प्रस्तावित। पुनर्वास और सुरक्षा सुधार से संबंधित कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बांधों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इसके लिए नियमित तकनीकी निरीक्षण, आवश्यक रखरखाव और एहतियाती उपायों को निगरानि मानकों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि बांधों की सुरक्षा केवल जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इससे जुड़े तकनीकी एवं प्रशासनिक तंत्र से समन्वित प्रयास का विषय है।

SIR पर कांग्रेस के विरोध को लेकर चालवाड़ी नारायणस्वामी का हमला, बोले मतदाता सूची की शुचिता जरूरी

भारतार्थ
खबरBhaaratarth.com
मैसूर, 29 सितंबर 2026।
कर्नाटक में स्पेशल डेस्टिंस रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवाड़ी नारायणस्वामी ने मैसूर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर SIR के विरोध के बहाने चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया किSIR किसी राजनीतिक दल का अभियान नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया है। नारायणस्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 'कॉकरोच जन्ता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच क्विज सोशल मीडिया संकेतों का भी उल्लेख किया। हालांकि, राहुल गांधी द्वारा दीपके को वास्तव में 'फॉलो' किए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो सकी है। अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाले संगठन का नाम सार्वजनिक रिपोर्टों में 'Cockroach Janta Party' के रूप में सामने आया है। sir को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप नारायणस्वामी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य सूची में दर्ज मतदाताओं की जानकारी को अद्यतन एवं सत्यापित करना है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रकार की पुनरीक्षण

प्रक्रिया पहले भी होती रही है और इसे किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर **SIR** के विरोध के जरिए राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने का आरोप लगाया। वहीं, **SIR** को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और निर्वाचन प्रक्रिया पर बहस वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। मतदाता सूची में नामों के सत्यापन पर जोर भाजपा नेता ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से दर्ज है, किसी मृत व्यक्ति का नाम बना हुआ है या कोई व्यक्ति पात्रता की शर्त पूरी नहीं करता, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत मतदाता को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में होने के आरोपों का भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसे मामलों की जांच एवं कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता; इसके लिए निर्वाचन कानूनों और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। चुनावी परिणामों और चुनाव आयोग को लेकर भी निशाना नारायणस्वामी ने कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का उल्लेख करते

उप सवाल किया कि जहाँ कांग्रेस ने चुनाव जीते, वहाँ चुनाव प्रक्रिया पर इसी प्रकार के आरोप क्यों नहीं लगाए गए? उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी भाजपा के पक्ष का समर्थन किया तथा कांग्रेस पर राजनीतिक कारणों से निर्वाचन आयोग को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं; कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पर लेकर अलग-अलग अवसरों पर आपत्तियाँ और सवाल उठाए गए हैं। सूखा राहत को लेकर राज्य सरकार पर भी हमलानारायणस्वामी ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति और किसानों के लिए घोषित राहत राशि को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिली और सरकार की ओर से घोषित सहायता अपर्याप्त है। उन्होंने भाजपा सरकार के दौरान किसानों को दी गई राहत का हवाला देते हुए अधिक आर्थिक सहायता की मांग की। राज्य सरकार ने हाल में सूखा प्रभावित किसानों के लिए 2,500 की इन्सपुट सब्सिडी की घोषणा की है। इस राशि और सरकार की राहत नीति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र की मांग भाजपा नेता ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सरकार से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप

गायगा कि गारंटी योजनाओं के कारण सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा है और जनता के कर के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए राज्य के बजट, व्यय और वित्तीय दायित्वों से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों को देखना आवश्यक होगा। हरिप्रसाद और RSS के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया नारायणखामी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दी। हरिप्रसाद के RSS और भाजपा से जुड़े हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक संवाद में संयम और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, हरिप्रसाद की RSS और भाजपा को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हुई है। राजनीतिक दावों के बीच **SIR** पर बहस जारी **SIR** को लेकर मौजूदा बहस में एक ओर निर्वाचन सूची के सत्यापन और शुद्धता पर जोर दिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर विपक्षी दल प्रक्रिया की पारदर्शिता, दस्तावेजों और प्राकृतिक मर्यादाओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में **SIR** से संबंधित निर्णयों और दावों को निर्वाचन आयोग के आधिकारिक निर्देशों तथा लागू कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण होगा।



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026।
बेंगलुरु उत्तर क्षेत्र में स्पेशल इंटेन्सिव रिजिजन (SIR) प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मतदाताओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत अनमैड और लॉजिकल डिस्कंपैसी से जुड़े मामलों में नोटिस प्राप्त मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर पहुंचकर दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। प्रस्ता जानकारी के

अनुसार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, बंगलुरु नॉर्थ के अधिकांश क्षेत्र में संबंधित मतदाताओं से एकत्र किए जा रहे दस्तावेजों को ECINet पर अपलोड कर संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सामान्यतः कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में सुनवाई के लिए ERO अथवा AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी विशेष मामले में ERO सुनवाई को आवश्यक मानते हैं, तो ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता देने का प्रावधान बताया गया है। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए प्रक्रिया के किसी व्यक्त सदस्य को नामित भी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को अनावश्यक असुविधा से बचना और प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है। विशेष शिविर और हेल्प डेस्क से सहायता SIR प्रक्रिया से संबंधित जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर एवं हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। इन माध्यमों के जरिए नागरिकों को मतदाता सूची, दस्तावेज जमा करने और संबद्ध चुनावी प्रक्रियाओं

के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि SIR प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं को आवश्यक जानकारी और सहायता समय पर मिल सके। छूटे नामों के लिए भी आवेदन का अवसर SIR प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके बाद यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाता है, तो वह निर्देश अद्यतन प्रक्रिया के तहत संबंधित ERO के सम्मक्ष आवेदन कर सकता है। पात्र युवा एवं पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और ERO को पात्र मतदाताओं की नामांकन को सुगम बनाने के लिए विशेष अभियान चलाते के निर्देश दिए हैं। अधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की अपील बैंगलुरु नॉर्थ प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि SIR मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संबंधित ERO, AERO तथा अधिकृत हेल्प डेस्क से संपर्क करें। नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करने और अधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।

आरक्षण नीति सुधार मंच की बैठक में यूजीसी और आरक्षण नीति पर मंथन, आईपीएस विकास वैभव को आमंत्रण

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
गया, 29 सितंबर 2026।
भारतीय राजपूताना सेवा संगठन,
बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने आईपीएस
अधिकारी विकास तैभव से मुलाकात



कर संगठन की ओर से आयोजित आरक्षण नीति सुधार मंच की विशेष बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के बिहार उपाध्यक्ष राम पुकार सिंह, उत्तरी बैंगलुरु अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य



बैठक 2 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे गया के मानपुर स्थित सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में आयोजित की जाएगी। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से जुड़े विषयों और आरक्षण नीति में सुधार को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। संगठन का कहना है कि मंच के

माध्यम से समान अवसर, समान अधिकार, योग्यता के सम्मान और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण एवं सैवधानिक तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी वर्गों की सहभागिता पर जोर आयोजकों के अनुसार बैठक में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक प्रतिनिधियों एवं गण्यमान्य नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। संगठन ने आरक्षण और अन्य सामाजिक-नीतिगत विषयों पर व्यापक चर्चा के लिए विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर भी जोर दिया है। बैठक के माध्यम से अलग-थलग व्यवस्था तथा उच्च शिक्षा से जुड़े नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान का प्रयास किया जाएगा। संगठन की ओर से कहा गया है कि इन विषयों पर चर्चा सैवधानिक एवं शांतिपूर्ण दायरे में आगे बढ़ाई जाएगी। समाचार प्रेषकर्ता अनिरुद्ध सिंह, बेंगलूर

चलुवरायस्व

भारतार्थ खबर
Bhaarataraath.com

बेंगलुरु, 29 सितंबर 2026।

बेंगलुरु-मेसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (NICE) परियोजना को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की ओर से परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कुमारस्वामी को पूर्व मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का हवाला देते हुए पूछा कि यदि उन्हें NICE परियोजना में पहले से ही गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही थीं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। कुमारस्वामी ने हाल के दिनों में NICE परियोजना को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है और परियोजना से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं। वहीं,

चेलुवरायस्वामी ने कहा कि मामले पर आरोप—प्रत्यारोप के बजाय परियोजना के इतिहास, न्यायालय के निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के आधार



पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। दो बार मुख्यमंत्री रहने का हवाला देकर उठाया सवाल बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में चेलुवरायस्वामी ने कहा कि कुमारस्वामी दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि उस समय उन्हें लगता था कि NICE परियोजना में अनियमितताएं हैं, तो उनके पास प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर कार्रवाई करने का अवसर था। उन्होंने सवाल किया कि मध्यमंत्री रहते ह

परियोजना को रद्द करने, सरकार को नियंत्रण में लेने अथवा संबंधित मामलों में आवश्यक कानूनी कदम उठाने की दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पर आरोप लगाने के साथ-साथ पूर्व में सत्ता में रहे लोगों के कार्यपालक को लिए गए फैसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। कुमारस्वामी ने अगस्त में भी NICE रोड पर टोल वसूली रोकने और परियोजना को सरकार के नियंत्रण में लेने की मांग की थी। 1995 से जुजुड़ा है परियोजना का इतिहास चेलुवरायस्वामी ने NICE परियोजना के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कोई नई परियोजना नहीं है। उनके अनुसार, मूल समझौते और योजना प्रक्रिया की शुरुआत 1995 में हुई थी तथा बेंगलूर-मैसूर एक्स्प्रेसवेवर कॉरिडोर परियोजना तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के कार्यकाल में आगे बढ़ी थी। इसी एंतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते

हुए मंत्री ने कहा कि परियोजना से जुड़े फैसलों और बदलावों का आकलन करते समय अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल और उस दौरान लिए गए निर्णयों को भी सामने रखना चाहिए। NICE परियोजना को लेकर विवाद नया नहीं है। जुलाई 2026 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अधिग्रहण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं और परियोजना के वित्तीय मामलों के फॉरेंसिक ऑडिट की संभावना पर भी विचार किया था। आर. अशोक के बयान पर भी प्रतिक्रिया NICE समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी नेताओं की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए चेलुवरायस्वामी ने विपक्ष के नेता आर. अशोक के बयानों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भाषा में संयम और शालीनता बनाए रखने की आवश्यकता बताई। राजनीतिक आरोपों के बीच शिवकुमार का मुद्दा भी उठा चेलुवरायस्वामी ने कर्मरास्वामी और

प्रा नहै का ?

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच राजनीतिक मतभेदों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में शिवकुमार के राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व को लेकर कुमारस्वामी की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के प्रशासन, नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है, लेकिन चर्चा को व्यक्तिगत या सामुदायिक राजनीतिक समीकरणों तक ले जाने के बजाय नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर केंद्रित रखना चाहिए। न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई पर जोर NICE परियोजना को लेकर मौजूदा विवाद में एक ओर कुमारस्वामी सरकार से परियोजना और टोल व्यवस्था पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार की ओर से परियोजना के इतिहास और कानूनी स्थिति के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है।